न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— सविता शर्मा, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :— **131/2022**
GCMS NO. 2022/358

1. रामनिवास पुत्र हरफूल आयु 40 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
2. सन्तोष पुत्री हरफूल पत्नी प्रताप आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई हाल आबाद गांव गौड़ावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
3. सजना पुत्री हरफूल पत्नी राजेन्द्र आयु 52 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई हाल आबाद गांव गौड़ावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
4. सुवा पुत्री हरफूल पत्नी शीशराम आयु 50 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई हाल आबाद चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
5. झूमा पुत्री हरफूल पत्नी लालचन्द आयु 47 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई हाल आबाद चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
6. मन्नी पुत्री हरफूल पत्नी सरजीत आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई हाल आबाद चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
7. फुलवती उर्फ फुला देवी पत्नी हरफूल आयु 73 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

..................वादीगण

— बनाम —

1. हेमराज पुत्र मुलाराम आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
2. रूड़ाराम पुत्र हरदेवाराम आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
3. धर्मसिंह पुत्र हरदेवाराम आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
4. इन्द्राज पुत्र श्योराम आयु 70 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
5. रणजीत पुत्र श्योराम आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
6. जगमाल पुत्र श्योराम आयु 58 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
7. छोटी पुत्री मुलाराम पत्नी रघुवीर सिंह आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
8. नर्मदा पुत्री मुलाराम पत्नी औमप्रकाश आयु 5_ वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

9. पताशी पुत्री मुलाराम पत्नी हरिराम आयु 70 वर्ष निवासी बबाई हाल आबाद दलेलपुरा तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0
10. बाला माता विमला देवी पुत्री मुलाराम पत्नी सुभाष आयु 35 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई हाल आबाद शिथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राज0
11. लीलाधर उर्फ लीलीया माता विमला देवी पुत्री मुलाराम पत्नी सुभाष आयु 35 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई हाल आबाद शिथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं राज0
12. सारा पुत्री मुलाराम पत्नी शीशराम आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई हाल आबाद हरडिया तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0
13. बीरबल पुत्र चन्द्राराम आयु 82 वर्ष जाति जाट निवासी बबाई तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज0
14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतडी जिला झुंझुनूं राज0

.... प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा	अभिभाषक	वादीगण
2. श्री राधेश्याम भारद्वाज	अभिभाषक	प्रतिवादी संख्या 1 से 13

–: निर्णय :– **दिनांक :– 01.04.2024**

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 20.10.2023 को पारित कर तहसीलदार खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम बबाई पटवार हल्का बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 186 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 345, 385, 386, 387, 418, 419 कुल किता 06 कुल रकबा 2.71 हेक्टेयर भूमि में वादीगण के संयुक्त 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8, 9, 12 व बिमला पुत्री मूलाराम, सुरजी पत्नि मूलाराम के संयुक्त 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 व भूरी पत्नी श्योराम के संयुक्त 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 13 के 1/8 हिस्से की भूमि का खाता अलग–अलग कायम कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को 2000/– रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है, कि वे पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पत्र दिनांक 04.08.2023 को मध्यनजर रखते हुये पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक [illegible] /91 जयपुर दिनांक 30–09–2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रख[illegible]तीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/[illegible] दिनांक 05–10–2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लि[illegible] की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र इस न्यायालय में भिजवाये। रह[illegible]दि कोई हो तो संबंधित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध प्रस्तावित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:06 IST
Reason: SelfAttested

०१/५/२४
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./2024/23 दिनांक 04.01.2024 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.01.2024 का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.01.2024 के मुताबिक वाद वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.01.2024 (प्रदर्श–'अ–1 से 10' व 'ब') के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.01.2024 (प्रदर्श–'अ–1 से 10' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 10' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। वाद पत्र में वादीगण के कथनानुसार बिमला पुत्री मूलाराम हिस्सा 1/28, भूरी पत्नी श्योराम हिस्सा 1/16 व सुरजी पत्नी मूलाराम हिस्सा 1/28 की मृत्यु हो चुकी है। इसलिये बिमला पुत्री मूलाराम हिस्सा 1/28, सुरजी पत्नी मूलाराम हिस्सा 1/28 प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8, 9, 12 के संयुक्त तथा भूरी पत्नी श्योराम हिस्सा 1/16 प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 के संयुक्त रखा जावे। उपरोक्त मृतकों के हिस्से की भूमि का विरासत नामान्तरकरण उनके विधिक वारिसों के नाम से खोला जाकर ही भूमि को आगे स्थानान्तरित किया जावे अर्थात तत्पश्चात ही निर्णय की पालना की जावे। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **01.04.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/4/24

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:06 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सविता शर्मा, आर.ए.एस.

रामनिवास आदि

............वादीगण

ब–ना–म

हेमराज आदि

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– **खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955**
मुकदमा नम्बर :– **131 / 2022**
GCMS NO. 2022/358
निर्णय दिनांक :– **01.04.2024**

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 की ओर से **श्री राधेश्याम भारद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **01.04.2024** को **सविता शर्मा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.01.2024 (प्रदर्श–'अ–1 से 10' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से 10' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। वाद पत्र में वादीगण के कथनानुसार बिमला पुत्री मूलाराम हिस्सा 1 / 28, भूरी पत्नी श्योराम हिस्सा 1 / 16 व सुरजी पत्नी मूलाराम हिस्सा 1 / 28 की मृत्यु हो चुकी है। इसलिये बिमला पुत्री मूलाराम हिस्सा 1 / 28, सुरजी पत्नी मूलाराम हिस्सा 1 / 28 प्रतिवादी संख्या 1, 7, 8, 9, 12 के संयुक्त तथा भूरी पत्नी श्योराम हिस्सा 1 / 16 प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 के संयुक्त रखा जावे। उपरोक्त मृतकों के हिस्से की भूमि का विरासत नामान्तरकरण उनके विधिक वारिसों के नाम से खोला जाकर ही भूमि को आगे स्थानान्तरित किया जावे अर्थात तत्पश्चात ही निर्णय की पालना की जावे। तहसीलदार खेतड़ी मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **01.04.2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला-नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.16 11:48:06 IST
Reason: SelfAttested

01/04/24
(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी